न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी **उम्मेदी लाल मीना** आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 45/2021

अनवानः—

1. संदीप सिह (फौत)
   1/1 रमनदीप कौर पत्नी संदीप सिंह उम्र 2 वर्ष नाबालिग जरिये माता रमनदीप कौर जाति जटसिख निवासी सुन्दरसिंह वाला तह0 पीलीबंगा।
   1/2 नवजोत सिंह पुत्र संदीप सिंह उम्र 2 वर्ष नाबालिग जरिये माता रमनदीप कौर जाति जटसिख निवासी सुन्दरसिंह वाला तह0 पीलीबंगा।
2. बलराज सिहं पुत्र श्री शैम्बर सिहं जाति जटसिख निवासीयान सुन्दरसिंह वाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राज.।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत लिखमीसर जरिये सरपंच / सचिव, पंचायत समिति पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. ग्राम पंचायत सरावांवाला जरिये सरपंच / सचिव, पंचायत समिति पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. विकास अधिकारी (वी.डी.ओ.) पंचायत समिति पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. हल्का पटवारी चक 13 एल.जी.डब्ल्यू., पटवार हल्का सरावांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. बलवंत सिहं पुत्र श्री गजन सिंह जटसिख निवासीयान सुन्दरसिह वाला।
7. जगतार सिहं पुत्र श्री बलवन्त सिंह जटसिख निवासीयान सुन्दरसिह वाला।
8. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जटसिख निवासीयान सुन्दरसिह वाला।
9. जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जटसिख निवासीयान सुन्दरसिह वाला। तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लिखमीसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 67 दिनांक 03.05.1977 मिसल संख्या 72 दिनांक 17.12.1976 बलवंत सिंह पुत्र श्री गजन सिंह को निरस्त कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शौचालय के लिए आरक्षित भुमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जावें व प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग के लिए गली आम को अवरुद्ध न किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:13:53 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः—
1 श्री अमनदीप सिंह सिद्धू अभिभाषक प्रार्थीगण
2 श्री गुरमेलसिंह अप्रार्थी सं0 01
3. श्री नरेश कुमार पारीक अप्रार्थी सं0 06 ता 09

—:निर्णयः—

दिनांकः—19.11.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 9 गांव सुन्दर सिंह वाला के निवासी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 के घरों के पूर्व दिशा की तरफ से उत्तर से दक्षिण गली 12 फुट निकलती है जिसका उपयोग प्रार्थीगण द्वारा आने जाने के लिये किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा उक्त गली पर ग्राम पंचायत लिखमीसर से फर्जी तरीके से पट्टा

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

संख्या 67 दिनांक 03.05.1977 मिसल संख्या 72 दिनांक 17.12.1976 जारी करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी किये जाने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 को पुर्नगठन होने के कारण गांव सुन्दर सिंह वाला की वर्तमान पंचायत है। अप्रार्थी संख्या 3 के अधीन दोनो पंचायते होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। विवादित पट्टा आबादी क्षेत्र मे नही बना होने के कारण अप्रार्थी संख्या 4 को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 को भूधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 6 के नाम से पट्टा जारी होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 द्वारा गली मे अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त पट्टा संख्या 67 दिनांक 03.05.1977 मिसल संख्या 72 दिनांक 17.12.1976 से प्रार्थीगण के हित विपरीत रूप से प्रभावित होते है। उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा निम्नलिखित रूप से निवेदन किया है कि:–

अभिकथित पट्टा संख्या 67 दिनांक 03.05.1977 मिसल संख्या 72 दिनांक 17.12.1976 बलवंत सिंह पुत्र श्री गजन सिंह निवासी सुन्दर सिहं वाला के नाम से ग्राम पंचायत लिखमीसर द्वारा जारी किया गया। उक्त पट्टा गली के उपर बना हुआ है। ग्राम पंचायत लिखमीसर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर गैर मुमकिन सार्वजनिक भुमि पर उक्त पट्टा जारी किया गया क्योकि पट्टे वाली जगह चक 13 एलजीडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 14 / 299 (39) किला नम्बर 21 ता 23 मे से किला नम्बर 22 व 23 मे है जो कि आबादी क्षेत्र मे न होने के कारण पंचायत के अधिकार क्षेत्र मे नही है बल्कि अप्रार्थी संख्या 5 के क्षेत्राधिकार मे आता है। अभिकथित पट्टा की भुमि सार्वजनिंक प्रयोजनार्थ शौचालय के लिए आरक्षित है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन अथवा अपयोग गैर–कानूनी है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने याचिका संख्या 11153 / 2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार मे दिनांक 29.05.2012 को भी इस विषय मे कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे भी सिविल अपील संख्या 1132/2011 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य मे दिनांक 28.01.2011 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधुपर मे सिविल याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे पारित आदेशानुसार आरक्षित भूमि के किये गये आवंटन खारिज किये जाने तथा उक्त भूमियों की पूर्व की स्थिति कायम की जावें। इस कारण उक्त पट्टा काबिले निरस्ती है। अभिकथित पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड की जांच नही की गई और न ही आबादी क्षेत्र व सार्वजनिक भुमि की जांच अथवा पैमाईश की गई। उक्त पट्टा की भुमि चक 13 एलजीडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 14 / 299 (39) कि.न. 21 ता 23 गैर मुमकिन शौचालय सार्वजनिक सुविधा के अंतर्गत भू–धारक राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार मे आती है, उक्त भुमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा आवंटन का अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 24.11.2021 को प्रार्थीगण के गली मे से जाने को लेकर हुये विवाद के कारण अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 द्वारा गली मे पशुओ का अपशिष्ट व कुड़ा करकट का ढेर लगाना शुरू कर दिया। अप्रार्थीगण ने झगड़ा करते हुये धमकी दी हम तो ऐसे ही गली बंद करेंगे। हमारा पट्टा बना हुआ है यहां पर कोई गली नही है, अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 गली [illegible] को अवरूद्ध करने के लिए आमादा है, अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 की धमकी [illegible] बाद प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत सरांवावाला मे पट्टे के बारे मे जांच [illegible] उक्त स्थान का कोई पट्टा नही मिला वहां से मिली जानकारी [illegible] प्रार्थीगण द्वारा पूर्व पंचायत लिखमीसर में जांच पड़ताल की गई तो प्रार्थीगण को [illegible] 6 के नाम से जारी पट्टे की दिनांक 26.11.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि मिली। उक्त दिनांक को प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि उक्त सार्वजनिक स्थान पर अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 9 द्वारा फर्जी तरीके पट्टा जारी करवाया हुआ है। निगरानी ज्ञान के दिवस के अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा देरी को माफ किये जाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। मामला अत्यावश्यक व तुरंत अनुतोष का होने के कारण धारा 80

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:13:53 IST
Reason: SelfAttested

30
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। मौके पर चालू गली 12 फुट पर अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 को अतिक्रमण करने से रोका जावें तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण सं0 07 ता 9 द्वारा गली मे आने जाने से न रोकने के लिए पाबंद किया जावें। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शौचालय के लिए आरक्षित भूमि को पट्टा निरस्त कर अतिक्रमण मुक्त कराया जावे। अतः निगरानी पेश कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लिखमीसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 67 दिनांक 03.05.1977 मिसल संख्या 72 दिनांक 17.12.1976 बलवंत सिंह पुत्र श्री गजन सिंह को निरस्त कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शौचालय के लिए आरक्षित भुमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जावें व प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग के लिए गली आम को अवरुद्ध न किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 01, 06 ता 09 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया, जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अभिकथित पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड की जांच नही की गई और न ही आबादी क्षेत्र व सार्वजनिक भुमि की जांच अथवा पैमाईश की गई। उक्त पट्टा की भुमि चक 13 एलजीडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 14 / 299 (39) कि.न. 21 ता 23 गैर मुमकिन शौचालय सार्वजनिक सुविधा के अंतर्गत भू–धारक राजस्व विभाग के क्षेत्राधिकार मे आती है, उक्त भुमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा आवंटन का अधिकार प्राप्त नही है। अतः निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लिखमीसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 67 दिनांक 03.05.1977 मिसल संख्या 72 दिनांक 17.12.1976 बलवंत सिंह पुत्र श्री गजन सिंह को निरस्त कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शौचालय के लिए आरक्षित भुमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जावें व प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग के लिए गली आम को अवरुद्ध न किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 06, 07, 08 व 09 की ओर से अपनी बहस में कथन किये कि वादाधीन स्थान अप्रार्थी का पट्टाशुदा मकान है जिसमें अप्रार्थी की रिहायश हैं। प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण का पड़ौसी है तथा एक ही परिवार के सदस्य भी है। अप्रार्थीगण के पट्टा के संबंध में समस्त विधिक कार्यवाही घर का बड़ा सदस्य होने के नाते प्रार्थीगण के सगे दादा जगदीश सिंह पुत्र गजन सिंह द्वारा निष्पादित करवाई गई थी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 7, 8 व 9 एक ही गांव पुराने वाशिंदे है। प्रार्थीगण द्वारा रंजिशवश हम अप्रार्थीगण को हैरान, परेशान करने की नियत से हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है। गैर निगरानीकार व निगरानीकार एक ही परिवार के सदस्य है। गली के संबध में संबंधित एक्ट में ही जाना चाहिए था, तीनों भाई बलवन्त, जगदीश व गुरशरण जिनके साथ साथ पटटे जारी हुये थे। 1977 का पटटा है, जिसका 44 साल बाद निगरानी किया जाना न्यायोचित नहीं है, जिसकी धारा 05 मियाद अधिनियम में देरी को माफ नहीं किया जा सकता है। एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण ज्ञान नहीं होना मनगढन्त है, जबकि पटटा ही मार्फत जगदीशसिंह के मार्फत होना अंकित है, केवल फोटोज के आधार पर निगरानी नहीं चल सकती और ... में भी गली अवरुद्ध होना नहीं दिख रहा है। अतः निगरानी प्रार्थना खारिज योग्य होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:13:53 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। दिनांक 24.11.2021 को प्रार्थीगण के गली में से जाने को लेकर विवाद के कारण, प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0 06 के नाम से जारी पटटे की दिनाक 26.11.2021 को प्रमाणित प्रतिलिपि मिली उक्त दिनांक को प्रार्थीगण को जानकारी हुई कि उक्त सार्वजनिक स्थान पर अप्रार्थीगण सं0 06 ता 09 द्वारा पटटा जारी करवाया हुआ है। निगरानीकर्ता द्वारा ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में निम्न न्याय निर्णय प्रस्तुत किये है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

1. माननीय राज0 उच्च न्यायालय Full Bench चिमनलाल बनाम स्टेट ऑफ़ राजस्थान व अन्य।
2. 2013(1) DNJ 177
3. 2021(2) DNJ 498 Section 16 Tenancy Act 1955
4. 2022(1) DNJ 243

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 का अवलोकन किया, इसमें निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2021 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में निगरानीकर्ता द्वारा द्वारा प्रश्नगत पटटा दिनांक पट्टा संख्या 67 दिनांक 03.05.1977 मिसल संख्या 72 दिनांक 17.12.1976 के संबंध में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने तक की अवधि तक देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा लगभग 44 साल बाद इस पट्टा को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है, जिसका स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं किया है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद अवधि से बाहर होने के कारण एवं निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.12.03 12:13:53 IST
Reason: SelfAttested